

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड।

E-mail

FAX

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र
एफ०एफ०पी० बिल्डिंग,
धुर्वा, राँची।

प्रबंध निदेशक,
भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची।

उप सचिव,
नगर विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची/दिनांक-.....

विषय:- जल संसाधन विभाग से सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंताओं एवं क्षेत्रीय स्थापना से संबंधित वर्ग-3 एवं 4 के कर्मियों तथा भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय से सम्बद्ध कर्मियों का बायोडाटा/ACP / MACP तथा पेंशनादि/सेवान्त लाभ आदि की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु आहूत समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित संवर्ग अन्तर्गत कर्मियों को ACP/MACP का ससमय लाभ प्रदान नहीं करने, पेंशनादि/सेवान्त लाभ ससमय नहीं दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यमंत्री जनसंवाद एवं सूचना का अधिकार के तहत प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।

विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न आहूत बैठकों में समीक्षा के दरम्यान इसे काफी गंभीरता से लिया गया है एवं दिनांक-10.08.2018 को आहूत बैठक में इसे हर हालत में 30 अगस्त 2018 तक निराकरण कर लिये जाने का निदेश दिया गया है।

इसके लिए विभिन्न मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार अग्रांकित तिथियों को उनके प्रक्षेत्र से संबंधित सभी अंचल/प्रमण्डल के वरीय पदाधिकारी/प्रधान सहायकों को संपूर्ण विवरणी, अभिलेख एवं कागजात के साथ मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया जाय। बैठक विभागीय अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है।

निर्धारित तिथियों को संबंधित अंचल/प्रमण्डल के प्राधिकृत वरीय पदाधिकारियों/प्रधान लिपिक द्वारा सारे अभिलेख/कागजात के साथ बैठक में विहित प्रपत्र-क, ख, ग एवं घ में सम्पूर्ण प्रविष्टि के साथ भाग लेना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	तिथि (समय 11:00 बजे A.M.)
1	मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची।	23.08.2018
2	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची।	
3	प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, झारखण्ड, राँची	
4	नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	
5	मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची।	24.08.2018
6	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।	
7	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची।	
8	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची।	
9	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग।	27.08.2018
10	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।	28.08.2018
11	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।	
12	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका।	29.08.2018
13	मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर, चांडिल कम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स।	
14	मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, धुर्वा, राँची।	

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को आयोजित बैठक में विहित प्रपत्र में पूर्ण सूचना एवं संबंधित अभिलेख के साथ ससमय भाग लेने हेतु निदेशित किया जाय। बैठक में अनुपस्थिति की स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी/प्रधान लिपिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-.....3562.....

राँची/दिनांक-.....20.08.18

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II /उप सचिव (प्र०)/संबंधित सभी अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

प्रपत्र-क
(ACP/MACP संबंधी विवरणी)

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र :-

क्र०सं०	अंचल / प्रमण्डल / अवर प्रमण्डल का नाम	कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता एवं क्षेत्रीय कर्मियों का नाम एवं I.D. / जन्म की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	सेवा में योगदान की तिथि	स्वीकृत ACP/MACP की स्थिति	लम्बित ACP/MACP की स्थिति (कारण सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

କା-କ-କ

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र :-

नोट:- 31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची भी उपलब्ध करायी जाय।

५५५-१

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र :-

[illegible]

24

[illegible]